यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

कार्मिक लाभ प्रभाग, मानव संसाधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
#239, यूनियन बैंक भवन, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई– 400021

स्टाफ परिपत्र सं. 100779-2025 12-09-2025

प्रति: सभी शाखाएं/ कार्यालय

विषय: पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण

1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को समाप्त हो रही है. निर्बाध पॉलिसी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, पॉलिसी के नवीनीकरण हेतु प्रीमियम अक्टूबर 2025 के महीने में बीमा कंपनी को प्रेषित किया जाना है.

2. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सूचित किया है कि पॉलिसी वर्ष 2025-2026 के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल)** की सेवाओं का चयन किया गया है.

3. वर्ष 2025-26 के लिए आईबीए समूह चिकित्सा बीमा पॉलिसी कवरेज में संशोधन के साथ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
   i. मोतियाबिंद के इलाज के लिए अधिकतम सीमा रू. 40,000/- प्रति आँख होगी

   ii. कैंसर के लिए हार्मोनल थेरेपी और कैंसर के अतिरिक्त बीमारियों के लिए इम्यूनोथेरेपी को डे-केयर के अंतर्गत शामिल किया गया है.

   iii. कैंसर के उपचार के लिए ओरल कीमोथेरेपी पर खर्च अस्पताल में भर्ती होने पर या उसके बिना देय होगा.

   iv. रोबोटिक सर्जरी के उन मामलों पर विचार किया जाएगा जहां रोगी की चिकित्सीय स्थिति इस तरह के उपचार के लिए आवश्यक है, जिसे इलाज करने वाले डॉक्टर / सर्जन द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है.

   v. परिवार के मानसिक /शारीरिक रूप से अक्षम आश्रित सदस्यों को ऐड-ऑन के माध्यम से शामिल किया जा सकता है. इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों द्वारा किया जाएगा.

   vi. शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम/दिव्यांग आश्रित परिवार के सदस्यों की परिभाषा पूर्ण रूप से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और अधिनियम की सूची में बाद में किए गए संशोधन/परिवर्धन के अनुसार होगी. बीमा कवरेज के उद्देश्य से दिव्यांगता का अर्थ है अधिनियम के अनुसार निर्दिष्ट दिव्यांगता के कम से कम 40 प्रतिशत वाले व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांगता वाला एक बीमित व्यक्ति शामिल है, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया

है, जैसा कि दिव्यांगता को प्रमाणित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है.

vii. जिन सेवानिवृत्त लोगों ने आईबीए समूह स्वास्थ्य पॉलिसी 2024-25 की सदस्यता नहीं ली है, उन्हें वर्ष 2025-26 के लिए पॉलिसी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.

viii. **सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पॉलिसी में "गृह चिकित्सा" लाभ कवरेज शामिल नहीं है .**

ix. बीमित राशि

a. अवार्ड स्टाफ को रु. 3.00 लाख या रु. 4.00 लाख की बीमा राशि चुनने का विकल्प होगा.
b. स्केल I से स्केल V में सेवानिवृत्त अधिकारियों के पास रु. 5.25 लाख की एक निश्चित बीमा राशि होगी.
c. स्केल VI और उससे उच्च सेवानिवृत्त अधिकारियों को रु.5.25 लाख या रु. 7.00 लाख की बीमित राशि (एसआई) चुनने का विकल्प होगा

x. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर नियमित बीमा राशि के अतिरिक्त बीमा कवरेज के रूप में टॉप अप सुविधा उपलब्ध है.

xi. टॉप-अप पॉलिसी दिनांक 01.11.2025 से शुरू होगी और इसकी अवधि बेस पॉलिसी अवधि के समान होगी अर्थात समाप्ति तिथि दिनांक 31.10.2026 होगी.

xii. क्लेम के मामले में**,** बेस पॉलिसी पहले लागू की जाएगी और यदि बेस पॉलिसी की बीमा राशि समाप्त हो जाती है तो, टॉप अप पॉलिसी सक्रिय हो जाएगी.

xiii. **सेवानिवृत्त कर्मचारी बेस और टॉप-अप पॉलिसी 2025-26 के अंतर्गत नामांकन के लिए किसी एक्सटेंशन विंडो की अनुमति नहीं दी जाएगी.**

4. सेवानिवृत्त कर्मचारी पॉलिसी का विकल्प चुन सकते हैं -

❖ पति या पत्नी के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारी: 2 जीवन बीमित
❖ एकल व्यक्ति (1 जीवन बीमित) - को निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में परिभाषित किया गया है
  ✓ जहां सेवानिवृत्त व्यक्ति का पति या पत्नी जीवित नहीं है.
  ✓ जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी का निधन हो गया है और पति या पत्नी जीवित है.
  ✓ जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी को पति या पत्नी के लिए बीमा कवर की आवश्यकता नहीं होती है
❖ परिवार के मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम आश्रित सदस्यों को **ऐड-ऑन के माध्यम से शामिल किया जा सकता है.**

5. बेस और टॉप-अप पॉलिसियों के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रीमियम दरों की जानकारी नीचे दी गई हैं

<u>बेस पॉलिसी हेतु प्रिमियम दरें (जीएसटी को छोड़कर)</u>

पदनाम	बीमा राशि (एसआई)	पति या पत्नी के साथ सेवानिवृत्त	एकल व्यक्ति
अवार्ड स्टाफ (लिपिक/अधीनस्थ कर्मचारी)	₹ 3,00,000	₹ 27,001	₹ 24,301
	₹ 4,00,000	₹ 31,001	₹ 29,251
स्केल 1 से 5 तक के अधिकारी	₹ 5,25,000	₹ 40,231	₹ 37,181
स्केल 6 और उससे उच्च अधिकारी	₹ 5,25,000	₹ 40,231	₹ 37,181
	₹ 7,00,000	₹ 60,001	₹ 48,001

टॉप-अप पॉलिसी हेतु प्रीमियम दरें (जीएसटी को छोड़कर)

पदनाम	बीमा राशि (एसआई)	पति या पत्नी के साथ सेवानिवृत्त	एकल व्यक्ति
सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी, चाहे वह किसी भी संवर्ग से सेवानिवृत्त हों	₹ 1,00,000	₹ 12,501	₹ 10,621
	₹ 2,00,000	₹ 20,001	₹ 17,001
	₹ 3,00,000	₹ 29,301	₹ 24,901
	₹ 4,00,000	₹ 39,001	₹ 31,201

ऐड ऑन हेतु प्रीमियम दरें (जीएसटी को छोड़कर)
प्रत्येक शारीरिक/मानसिक रूप से अक्षम आश्रित परिवार के सदस्य के लिए ऐड-ऑन प्रीमियम विवरण
(उपर्युक्त संबंधित बेस प्रीमियम में शामिल)

	बीमा राशि (एसआई)	ऐड-ऑन प्रीमियम राशि
सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी, चाहे वह किसी भी संवर्ग से सेवानिवृत्त हों	₹ 3,00,000	₹ 10,001
	₹ 4,00,000	₹ 12,501
	₹ 5,25,000	₹ 15,001
	₹ 7,00,000	₹ 35,001

टॉप-अप हेतु ऐड-ऑन प्रीमियम दरें (जीएसटी को छोड़कर)
प्रत्येक शारीरिक/मानसिक रुप से अक्षम आश्रित परिवार के सदस्य के लिए ऐड-ऑन प्रीमियम विवरण (उपर्युक्त दिए गए संबंधित टॉप-अप प्रीमियम में शामिल):

बीमा राशि (एसआई)	₹ 1,00,000	₹ 2,00,000	₹ 3,00,000	₹ 4,00,000
अवार्ड स्टाफ/अधिकारी **(प्रीमियम- जीएसटी को छोड़कर)**	₹ 5,001	₹ 10,001	₹ 20,001	₹ 30,001

- ❖ जीएसटी सहित विस्तृत प्रीमियम दरें अनुलग्नक-। में संलग्न है.

6. अन्य नियम और शर्तें इस प्रकार है;

- ❖ चिकित्सा बीमा योजना के सभी नियम और शर्तें**,** जैसा कि 10वें द्विपक्षीय समझौता/7वें संयुक्त नोट में उल्लिखित है**,** जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और साथ ही योजना में बाद में जोड़े गए कोई भी कवरेज जारी रहेंगे.

- ❖ सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो यूनियन बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमों के तहत अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं या उनके पारिवारिक पेंशनभोगी पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए आगामी सेवानिवृत्त नीति के तहत कवर किए जाने के पात्र हैं.

- ❖ पीएफ या एनपीएस सदस्य के रूप में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, या उनके पति/पत्नी पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए आगामी सेवानिवृत्त पॉलिसी के तहत कवर किए जाने के पात्र हैं.

- ❖ 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी/बैंक की सेवाओं से त्याग पत्र देने वाले कर्मचारी/बर्खास्त किए गए कर्मचारी और/या उनके पारिवारिक पेंशनभोगी पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए आगामी सेवानिवृत्त पॉलिसी के तहत कवरेज के लिए पात्र नहीं होगे.

- ❖ सेवानिवृत्त/पारिवारिक पेंशनभोगी जिन्होंने वर्तमान बीमा पॉलिसियों की सदस्यता नहीं ली है**,** उनके लिए भी एकमुश्त प्रावधान के रूप में पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए पॉलिसी में शामिल होने का विकल्प होगा.

- जो कर्मचारी दिनांक 01.11.2024 से 31.08.2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा 31.10.2025 तक या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके लिए पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए चिकित्सा बीमा पॉलिसी में शामिल होने का विकल्प होगा.

7. **पंजीकरण प्रक्रिया**:

- मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी. **मैनुअल पंजीकरण नहीं किया जाएगा. सहमति की हार्ड कॉपी/स्कैन की गई प्रति, पॉलिसी में पंजीकरण के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी.**

- आगामी पॉलिसी वर्ष 2025-26 में पंजीकरण करने के लिए विभिन्न विकल्पों को प्रदान करने वाला एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया पोर्टल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कॉर्पोरेट वेबसाइट – www.unionbankofindia.co.in पर लाइव किया जाएगा. **लिंक "www.unionbankofindia.co.in → हमारे बारे में → मानव संसाधन → सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए सूचना→ चिकित्सा बीमा"** पर प्रदर्शित किया जाएगा. पोर्टल की उपलब्धता के बारे में जानकारी अर्थात पोर्टल को कब लाइव किया जाएगा, और पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, अलग परिपत्र के माध्यम से उचित समय पर सभी संबंधितों के साथ साझा किया जाएगा.

8. **पॉलिसी अवधि:** सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनभोगी, जो 'ऑनलाइन पोर्टल' के माध्यम से पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए आगामी समूह चिकित्सा पॉलिसी में शामिल होते हैं, उन्हें पूर्ण प्रीमियम राशि के भुगतान पर दिनांक 01.11.2025 से 31.10.2026 तक की अवधि के लिए कवरेज प्रदान किया जाएगा.

9. **डिफ़ॉल्ट विकल्प:** यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा किसी विकल्प का चुनाव नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनभोगी ने पॉलिसी वर्ष 2025-26 के लिए आगामी नीति से **बाहर** निकलने का विकल्प चुना है.

10. बैंक केवल आईबीए/बीमा कंपनी को डेटा प्रदान करने में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है. बीमा कंपनी द्वारा दावों की जांच/निस्तारण किया जाएगा और इस प्रक्रिया में बैंक की कोई भूमिका नहीं है.

11. **संपर्क विवरण:** ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए, टीम के सदस्यों से निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई –

लैंडलाइन नंबर.:-	022- 22896383/ 22896255
आईपी नंबर.:-	116252/ 116253/116254/116263/116264

12. परिपत्र की विषय-वस्तु सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ध्यान में लाई जाएगी. परिपत्र को शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना है. सभी शाखाओं/कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इस परिपत्र के **अनुलग्नक-I** को प्रमुखता से प्रदर्शित करें. परिपत्र की प्रति **""www.unionbankofindia.co.in → हमारे बारे में → मानव संसाधन → सेवानिवृत्त स्टाफ के लिए सूचना→ चिकित्सा बीमा"" पर भी उपलब्ध है.**

(एस. सी. तेली)
मुख्य महाप्रबंधक

Employee Benefits Division, Human Resources Department, Central Office
#239, Union Bank Bhavan, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021

STAFF CIRCULAR NO. 100779-2025 12-09-2025

To: **All Branches/ Offices**

Subject: Renewal of Group Medical Insurance Policy for Retired Employees / Family Pensioners for the Policy Year 2025-26

1. The Group Medical Insurance Policy for the retired employees of Union Bank of India, is expiring on 31st October, 2025. To ensure uninterrupted policy coverage, premium for renewal of the policy is to be remitted in the month of October 2025 to the Insurance Company.

2. The Indian Banks' Association (IBA) has informed that the services of **National Insurance Company Ltd. (NICL)** has been selected to provide the Group Health Insurance Policy for the policy year 2025-2026.

3. The salient features with Amendments in the IBA Group Medical Insurance Policy coverage for the year 2025-26 are as under:
   i. The upper cap for Cataract treatment shall be ₹ 40,000/- per eye.

   ii. Hormonal therapy for cancer and Immunotherapy for non-cancer are included under daycare.

   iii. Expenses on oral chemotherapy for treatment of cancer shall be payable with or without hospitalization.

   iv. Robotic surgery shall be considered in cases where the medical condition of the patient warrants such treatment, which needs to be certified by the treating doctor/surgeon.

   v. Mentally/physically challenged Dependent family members can be included by way of add-on. Additional Premium for the same is to be borne by the Retired Employees / Family Pensioners.

   vi. Definition of Physically and Mentally Challenged/ Disabled dependent family members will be strictly as per The Right of Persons with Disabilities Act, 2016 and The Mental Healthcare Act, 2017 and subsequent modifications / additions to the list in the Act. Disability for the purpose of insurance coverage means a person with not less than 40% of a specified disability as per the Act, where specified disability has not been defined in measurable terms and includes an Insured person with disability where specified disability has not been defined in measurable terms, as Certified by the Medical Board appointed by the Government for certifying Disability.

vii. Retirees' who have not subscribed to IBA Group Health Insurance Policy 2024-25, will be allowed to join the Policy for the year 2025-26.

viii. Retirees' Policies are 'Without Domiciliary' Benefit Cover.

ix. The Sum insured for
   a. Award Staff shall have an option to choose a Sum Insured of ₹ 3.00 lakh or ₹ 4.00 lakh.
   b. Officers retired in scale I to V shall have a fixed Sum Insured of ₹ 5.25 lakh.
   c. Officers retired in Scale VI and above shall have the option to choose a Sum Insured (SI) of ₹5.25 lakh or ₹7.00 lakh.

x. Top up facility is available to the retired employees, as an additional Insurance Coverage beyond the regular Sum Insured, on payment of extra premium.

xi. The Top up policy commences w.e.f. 01.11.2025 and the period will be identical to the main policy period i.e. expiry date will be 31.10.2026.

xii. In case of claim, the base policy will be triggered first and only if, the Sum Insured of the base policy is exhausted, the Top Up policy will be activated.

xiii. **No extended window will be allowed for enrolment under Retiree Base and Top-Up Policy 2025-26**

4. Retired employee can opt for policy as -
   - ❖ Retired employee with spouse: 2 lives insured.
   - ❖ Single Person (1 life insured)- is defined as **any one** of the following
     - ✓ where retiree does not have surviving spouse
     - ✓ where retiree survived by spouse (Retiree has passed away)
     - ✓ where retiree does not require the insurance cover for the spouse
   - ❖ Mentally/physically challenged Dependent family members can be **included by way of add-on.**

5. The premium rates, for retired employees for Base and Top-Up Policies are given below for your reference

<u>**Base Policy Premium Rates (Excluding GST)**</u>

Designation	Sum Insured (SI)	Retiree with Spouse	Single Person
Award Staff (Clerical/ Sub Staff)	₹ 3,00,000	₹ 27,001	₹ 24,301
	₹ 4,00,000	₹ 31,001	₹ 29,251
Officer Scale 1 to 5	₹ 5,25,000	₹ 40,231	₹ 37,181
Officer Scale 6 and Above	₹ 5,25,000	₹ 40,231	₹ 37,181
	₹ 7,00,000	₹ 60,001	₹ 48,001

Top-Up Policy on Premium Rates (Excluding GST)

Designation	Sum Insured (SI)	Retiree with Spouse	Single Person
All retirees irrespective of cadre	₹ 1,00,000	₹ 12,501	₹ 10,621
	₹ 2,00,000	₹ 20,001	₹ 17,001
	₹ 3,00,000	₹ 29,301	₹ 24,901
	₹ 4,00,000	₹ 39,001	₹ 31,201

Add on Premium Rates (Excluding GST)

Add-on Premium details for each Physically/Mentally challenged dependent family member (incorporated in the corresponding Base Premium above)

	Sum Insured (SI)	Add-on Premium amount
All retirees irrespective of cadre	₹ 3,00,000	₹ 10,001
	₹ 4,00,000	₹ 12,501
	₹ 5,25,000	₹ 15,001
	₹ 7,00,000	₹ 35,001

Add on Premium Rates for Top-Up (Excluding GST)

Add-on Premium details for each Physically/Mentally challenged dependent family member (incorporated in the corresponding Top-Up Premium above):

Sum Insured (SI)	₹ 1,00,000	₹ 2,00,000	₹ 3,00,000	₹ 4,00,000
Award Staff / Officer **(Premium without GST)**	₹ 5,001	₹ 10,001	₹ 20,001	₹ 30,001

- The detailed premium rates including GST are attached herewith in Annexure I

6. Other Terms & Conditions are as follows;

- All the terms and conditions of the Medical Insurance Scheme as mentioned in the 10th Bi Partite Settlement/ 7th Joint Note which is not explicitly mentioned as well as any subsequent coverage that have been added in the Scheme shall continue.

- The retired employees, who retired from Bank's services either on Superannuation or voluntary retirement under Union Bank Employees' Pension Regulations or their family pensioners, are eligible to be covered under the ensuing Retirees policy for the policy year 2025-26.

- Employees who retired on superannuation as PF or NPS optees, or their spouses, are eligible to be covered under the ensuing Retirees policy for the policy year 2025-26.

- Employees retired under 'Compulsory Retirement'/ employees who resigned from the services of the Bank/ terminated employees and / or their family pensioners are not eligible to be covered under the ensuing Retirees policy for the policy year 2025-26.

- Those Retirees/ Family pensioners who had not subscribed to the current insurance Policies will also have the option to join the policy for the policy year 2025-26, as a one-time measure.

- The employees who have retired between 01.11.2024 to 31.08.2025 and who will be retiring on or before 31-10-2025, will have the option to join the Medical Insurance Policy for the policy year 2025-26.

7. **Registration Process:**

- As per existing procedure, the registration process for retired employees / family pensioners would be carried out through online portal, only. **Manual registration would not be carried out. Hard copy/ scanned copy of consent, would not be accepted for registration in the policy.**

- A specially designed portal, providing for various option(s) to register in the ensuing policy year 2025-26 will be made live on Union Bank of India's Corporate Website - www.unionbankofindia.co.in. The link shall be displayed at **"www.unionbankofindia.co.in → About US → Human Resources → Information for Retired Staff" → Medical insurance.** The information on availability of the portal i.e. as and when the portal is made live, and the detailed procedure on the registration process, will be shared with all concerned in due course of time, through a separate circular.

8. **Policy Period:** All the retired employees/ family pensioners, who join the ensuing Group Medical Insurance Policy for the policy year 2025-26, through 'online portal', will be provided coverage for the period from **01.11.2025 to 31.10.2026,** on payment of full premium amount.

9. **By Default Option:** In case no option is exercised by the retired employee/ family pensioner, it will be presumed that retired employee/ family pensioner has opted to **EXIT** from the ensuing policy for the policy year 2025-26.

10. The Bank acts as an intermediary in providing data to the IBA/ Insurance Company. The claims shall be scrutinized/ settled by the Insurance Company and the Bank has no role in the process.

11. **Contact Details:** For any kind of query regarding online registration, team members may be contacted on the following numbers:

Union Bank of India, Central Office, Mumbai -

Landline Nos.:-	022- 22896383/ 22896255
IP Nos.:-	116252/ 116253/116254/116263/116264

12. The contents of the circular to be brought to the notice of all Retirees. The Circular is to be prominently displayed on the notice board of the Branches. All branches/ offices are hereby advised to display **Annexure I** of this circular on their notice boards prominently. The copy of the circular is also available on **"www.unionbankofindia.co.in →ABOUT US → HR → Information for Retired Staff".**

(S.C. Teli)
Chief General Manager

Annexure I to SC100779-2025 dated 12-09-2025

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

CENTRAL OFFICE, MUMBAI

Premium rates, as proposed & quoted by National Insurance Company (NIC), for Group Medical Insurance Policy of Retired Employees, for the period of 01.11.2025 to 31.10.2026 are as follows:

PREMIUM CHART IBA GROUP MEDICAL INSURANCE FOR RETIREE (POLICY 2025-26)										
				Base Premium			Total Premium Including GST (in Rs.)			
SCALE	Base Sum Insured	TOP-UP Sum Insured	Total Sum Insured	Single Person	Retiree with Spouse	Add On for single Physically/ Mentally challenged dependent	Single Person	Retiree with Spouse	Single Person+ single Disable Physically/ Mentally challenged dependent	Retiree with Spouse +Single Disable Physically/ Mentally challenged dependent
Award Staff	3,00,000	-	3,00,000	24,301	27,001	10,001	28,675	31,861	40,476	43,662
		1,00,000	4,00,000	10,621	12,501	5,001	41,208	46,612	58,910	64,315
		2,00,000	5,00,000	17,001	20,001	10,001	48,736	55,462	72,339	79,065
		3,00,000	6,00,000	24,901	29,301	20,001	58,058	66,436	93,461	1,01,839
		4,00,000	7,00,000	31,201	39,001	30,001	65,492	77,882	1,12,695	1,25,085
	4,00,000	-	4,00,000	29,251	31,001	12,501	34,516	36,581	49,267	51,332
		1,00,000	5,00,000	10,621	12,501	5,001	47,049	51,332	67,701	71,985
		2,00,000	6,00,000	17,001	20,001	10,001	54,577	60,182	81,130	86,735
		3,00,000	7,00,000	24,901	29,301	20,001	63,899	71,156	1,02,252	1,09,509
		4,00,000	8,00,000	31,201	39,001	30,001	71,333	82,602	1,21,486	1,32,755
Officers Scale I to Scale V	5,25,000	-	5,25,000	37,181	40,231	15,001	43,874	47,473	61,575	65,174
		1,00,000	6,25,000	10,621	12,501	5,001	56,406	62,224	80,009	85,826
		2,00,000	7,25,000	17,001	20,001	10,001	63,935	71,074	93,437	1,00,576
		3,00,000	8,25,000	24,901	29,301	20,001	73,257	82,048	1,14,559	1,23,350
		4,00,000	9,25,000	31,201	39,001	30,001	80,691	93,494	1,33,793	1,46,596
Officers Scale VI and Above	5,25,000	-	5,25,000	37,181	40,231	15,001	43,874	47,473	61,575	65,174
		1,00,000	6,25,000	10,621	12,501	5,001	56,406	62,224	80,009	85,826
		2,00,000	7,25,000	17,001	20,001	10,001	63,935	71,074	93,437	1,00,576
		3,00,000	8,25,000	24,901	29,301	20,001	73,257	82,048	1,14,559	1,23,350
		4,00,000	9,25,000	31,201	39,001	30,001	80,691	93,494	1,33,793	1,46,596
	7,00,000	-	7,00,000	48,001	60,001	35,001	56,641	70,801	97,942	1,12,102
		1,00,000	8,00,000	10,621	12,501	5,001	69,174	85,552	1,16,376	1,32,755
		2,00,000	9,00,000	17,001	20,001	10,001	76,702	94,402	1,29,805	1,47,505
		3,00,000	10,00,000	24,901	29,301	20,001	86,024	1,05,376	1,50,927	1,70,279
		4,00,000	11,00,000	31,201	39,001	30,001	93,458	1,16,822	1,70,161	1,93,525

Note: Domiciliary benefits are not available under either Base or Top-Up policies.